



# बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, वेबसाइट : <http://bsea.bihar.gov.in>, ई-मेल : [bseapatna@gmail.com](mailto:bseapatna@gmail.com)

पत्रांक : नि. प्रा./ नि. 1-68/ 2022  
प्रेषक,

403

/पटना, दिनांक 22/02/2023

पुरुषोत्तम पासवान,  
सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी –सह– जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स. स.),  
बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, अररिया, भोजपुर, समस्तीपुर, सारण (छपरा), सुपौल,  
भागलपुर, वैशाली, दरभंगा, औरंगाबाद, शिवहर, पूर्वी चम्पारण एवं नांलदा।  
उप विकास आयुक्त –सह– नोडल पदाधिकारी (स. स.),  
बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, अररिया, भोजपुर, समस्तीपुर, सारण (छपरा), सुपौल,  
भागलपुर, वैशाली, दरभंगा, औरंगाबाद, शिवहर, पूर्वी चम्पारण एवं नांलदा।  
संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी –सह– निर्वाचन पदाधिकारी (स. स.),  
(संलग्न सूची के अनुसार)

विषय : बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के अधीन निबंधित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु मतदाता सूची का प्रकाशन।

महाशय,

बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम-7, 2013) में निहित प्रावधान के अनुसार बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के तहत निबंधित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के बोर्ड का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

2. प्राधिकार की अधिसूचना संख्या-1003 दिनांक 10.09.2013 द्वारा बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के तहत निबंधित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए जिला पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्राधिकार के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स. स.) एवं अधिसूचना संख्या-1004 दिनांक 10.09.2013 द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी को निर्वाचन पदाधिकारी (स. स.) पदनामित किया गया है। सामान्यतया प्रखंड विकास पदाधिकारी निर्वाचन पदाधिकारी होंगे लेकिन आवश्यक समझे जाने पर जिला पदाधिकारी आदेश द्वारा निर्वाचन पदाधिकारी का दायित्व अंचल अधिकारी को सौंप सकेंगे।

3. बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम-7, 2013) द्वारा सौंपे गए दायित्व के आलोक में प्राधिकार उन स्वाबलम्बी सहकारी समितियों का निर्वाचन कराना चाहता है, जिनका निर्वाचन देय है, और जिनका निर्वाचन प्रस्ताव पूर्ण रूप से संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराया गया है, वैसी समितियों की सूची अनुलग्नक-1 पर दी गई है।

4. संबंधित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों की उपविधियों में उन योग्यताओं एवं अयोग्यताओं का उल्लेख है, जिनके आधार पर कोई व्यक्ति सदस्य बन सकता है या अयोग्य घोषित किया जा सकता है। जिला सहकारिता पदाधिकारी संबंधित समिति से सम्पर्क स्थापित कर उसकी उपविधियों की एक प्रति संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी को तुरंत उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। निर्वाचन पदाधिकारी –सह– प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने स्तर से भी संबंधित समिति की उपविधियाँ स्थानीय स्तर से प्राप्त करने की व्यवस्था करेंगे।

5. इन स्वाबलम्बी सहकारी समितियों की मतदाता सूची की तैयारी एवं उसके बाद निर्वाचन के उद्देश्य से प्राधिकार ने दिनांक 31.01.2023 को कट-ऑफ तिथि के रूप में निर्धारित किया है। केवल वैसे व्यक्ति, जो दिनांक 31.01.2023 तक समिति की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं तथा जो अन्य निर्धारित शर्तें पूरी करते हैं, के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किये जा सकेंगे।

6. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में एक स्वच्छ मतदाता सूची का निर्माण करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। इस परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं:—

i) सूची में अंकित संबंधित स्वाबलंबी सहकारी समिति प्रपत्र-एम 1 में तीन प्रतियों में प्रारूप मतदाता सूची तैयार कर अपने जिला सहकारिता पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। ज्ञातव्य है कि प्राधिकार के पत्रांक 131 दिनांक 15.01.2019 द्वारा दिये गये विस्तृत निदेश के आलोक में संबंधित समिति ने पूर्व में अपनी प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित एवं हस्ताक्षरित तथा पर्यवेक्षकीय कर्मी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित सूची तैयार की होगी। प्रबंधकारिणी समिति की उक्त बैठक के बाद एवं मतदाता सूची की तैयारी के लिए निर्धारित कट-ऑफ तिथि के पूर्व, कोई सदस्य बनाये गये हों, या हटाये गये हों या मृत हो गये हों, तो वैसे परिवर्तनों के आधार पर किये गये संशोधनों को भी उक्त सूची में सम्मिलित किया जाएगा एवं उसपर यथा स्थिति समिति/ तदर्थ बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। हस्ताक्षर प्रत्येक पृष्ठ पर किया जाएगा। पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची आधार सूची मानी गयी है। अतः उस सूची से किसी व्यक्ति का नाम हटाया गया हो, तो समिति को एक अलग सूची बनाकर यह स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा कि नियमावली/ उपविधि के किस प्रावधान के तहत तथा किस प्रक्रिया को अपना कर सदस्यता समाप्त की गयी है। जिला सहकारिता पदाधिकारी इस सूची पर विशेष ध्यान देंगे। प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने में इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि सदस्य की अगर कोई अयोग्यता हो, तो उसका उल्लेख प्रपत्र-एम 1 के स्तंभ-5 में निश्चित रूप से कर दिया जाय। समिति का यह भी दायित्व होगा कि कट-ऑफ तिथि तक वैध रूप से सदस्य बनाये गये सभी व्यक्तियों का नाम प्रपत्र एम-1 में अवश्य सम्मिलित रहे। समिति के स्तर पर तैयार की गई यह प्रारूप मतदाता सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी को दिनांक 01.03.2023 तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जायेगी। अगर कोई समिति उक्त तिथि तक प्रारूप मतदाता सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी को समर्पित करने में विफल रहती है, तो यह जिला सहकारिता पदाधिकारी का दायित्व होगा कि उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर समिति की प्रारूप मतदाता सूची अपनी देख-रेख में तैयार करायें।

ii) समिति द्वारा समर्पित प्रारूप मतदाता सूची की प्रामाणिकता की जाँच संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा आवश्यक रूप से की जायेगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी प्राप्त अभिलेख एवं समिति के अभिलेख, यथा— सदस्यता बही, सभा बही, कैशबुक आदि तथा अधिनियम एवं नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आधार पर प्रारूप मतदाता सूची में सुधार करने के लिए प्राधिकृत किये जा रहे हैं। उनके द्वारा जो भी सुधार किया जाएगा, उसके संबंध में स्पष्ट कारण भी अंकित किया जाएगा। जाँचोपरान्त एवं संशोधनोपरान्त (अगर कोई हो) मतदाता सूची दिनांक 03.03.2023 तक संबंधित समिति के निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा उक्त प्रारूप मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ को सत्यापित किया जाएगा। जिला सहकारिता पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी कि प्रारूप मतदाता सूची में दी गई सूचनायें सही हों तथा कट-ऑफ तिथि तक सभी वैध सदस्यों के नाम सूची में शामिल रहें। समिति के पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची आधार सूची मानी गयी है। अतः जिला सहकारिता पदाधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि उक्त सूची से यदि किसी व्यक्ति का नाम हटाया गया हो, तो वे यह अवश्य सुनिश्चित कर लेंगे कि अधिनियम/ नियमावली/ उपविधि के प्रावधानों के तहत प्रक्रिया अपना कर ही सदस्यता समाप्त की गयी हो। निर्वाचन की पिछली मतदाता सूची से जिनका नाम समिति ने हटा दिया है और समिति द्वारा कंडिका- 6 (i) के अनुसार दी गयी सूची में सही प्रक्रिया के तहत नाम नहीं हटाया गया हो, तो जिला सहकारिता पदाधिकारी उसकी मान्यता नहीं देंगे और तदनुसार सूची में सुधार करेंगे।

iii) जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा सत्यापित/ हस्ताक्षरित मतदाता सूची प्राप्त हो जाने पर निर्वाचन पदाधिकारी इस सूची को प्रारूप मतदाता सूची के रूप में प्राधिकार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार विहित स्थलों पर प्रकाशित करेंगे। प्रारूप मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी का पूर्ण एवं स्पष्ट हस्ताक्षर मुहर सहित अनिवार्य रूप से अंकित रहेगा। मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की सूचना प्रपत्र-एम 2 में निर्गत की जायेगी।

7. अनुलग्नक-1 में सन्निहित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों की मतदाता सूची की तैयारी हेतु प्राधिकार द्वारा निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता है :-

| क्र० | कार्यक्रम  | तिथि                           |
|------|--|--------------------------------|
| 1    | स्वाबलम्बी सहकारी समिति द्वारा प्रपत्र-एम 1 में सदस्यता सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध कराना   | 01.03.2023                     |
| 2    | जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा उक्त सूची का सत्यापन कर अथवा उक्त सूची स्वयं तैयार कर उसे निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराना                      | 03.03.2023                     |
| 3    | निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रारूप मतदाता सूची का विहित स्थलों पर प्रकाशन   | 04.03.2023                     |
| 4    | आम नोटिस का प्रकाशन जिसमें मतदाता सूची के संबंध में दावे/ आपत्तियाँ प्राप्त करने की तिथि और प्राप्त दावे/ आपत्तियों के निष्पादन की तिथि अंकित हो | 04.03.2023                     |
| 5    | दावे/ आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि   | 04.03.2023 से<br>16.03.2023 तक |
| 6    | दावे/ आपत्तियों के निष्पादन के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन  | 18.03.2023                     |

8. प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन निम्नांकित स्थलों पर किया जायेगा :-

- (क) निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर।
- (ख) संबंधित स्वाबलम्बी सहकारी समिति के कार्यालय के सूचना पट पर।
- (ग) जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर।

9. संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अपने-अपने प्रखंड में अवस्थित समितियों की मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना प्राधिकार के वेबसाइट <http://bsea.bihar.gov.in/> पर अपने यूजरनेम के माध्यम से लॉगिन कर ऑनलाईन प्रविष्टि (केवल हॉ अथवा नहीं में) दिनांक 04.03.2023 को निम्नरूप से किया जायेगा :-

Step -1 लॉगिन करने हेतु निर्देश

निर्वाचन पदाधिकारी अपने कम्प्यूटर के किसी इंटरनेट ब्राउजर पर प्राधिकार का वेबसाइट <http://bsea.bihar.gov.in/> टाइप कर खोलेंगे। वेबपेज के दांये ऊपर लॉगिन पर क्लिक करें। प्राधिकार द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये अपने यूजरनेम तथा पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करें।

Step -2 प्रारूप मतदाता सूची संबंधी सूचनाओं को प्रविष्टि करने हेतु निर्देश

लॉगिन करने के उपरांत होमपेज में ऊपर "समितियों के मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यक्रम" पर क्लिक करें। तत्पश्चात् वेबपेज पर इस पत्र के माध्यम से मतदाता सूची के प्रकाशन हेतु निर्गत संख्या के सामने "View" पर क्लिक करें। क्लिक करने के उपरांत समितियों के नाम के सामने उल्लिखित "प्रारूप प्रकाशन हुआ अथवा नहीं" में हॉ अथवा नहीं का चयन कर सबमिट करेंगे।

निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा ऑनलाईन प्रविष्टि किये जाने के पश्चात् प्रारूप प्रकाशन हुआ अथवा नहीं की स्थिति को ऑनलाईन ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी अपने-अपने यूजरनेम के माध्यम से प्राधिकार के वेबसाइट पर लॉगिन कर डैशबोर्ड पर "मतदाता सूची के प्रकाशन से संबंधित कार्यक्रम की सूचनाएं" पर क्लिक कर देख सकेंगे। संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा समिति की मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना जिला सहकारिता पदाधिकारी को दिनांक 06.03.2023 तक उपलब्ध करा दी जायेगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा उक्त सूचनाओं को समेकित कर प्राधिकार के ई-मेल [bseapatna@gmail.com](mailto:bseapatna@gmail.com) पर दिनांक 10.03.2023 तक भेज दिया जायेगा।

अतएव संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि प्रारूप प्रकाशन की स्थिति/ सूचना को ससमय प्राधिकार के वेबसाइट पर प्रविष्टि कराये, ताकि निर्वाचन से संबंधित विभिन्न प्रक्रमों का अनुश्रवण (Monitoring) किया जा सके।

10. प्रारूप मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने के संबंध में कोई आपत्ति अथवा प्रारूप मतदाता सूची में किसी सदस्य का नाम जोड़ने से संबंधित दावा प्रपत्र-एम 3 में तथा मतदाता सूची से किसी प्रविष्टि से संबंधित विशिष्टियों पर आपत्ति प्रपत्र-एम 4 में विहित समय सीमा के अंदर ही लिया जा सकेगा। आपत्ति उन्हीं व्यक्तियों द्वारा दी जायेगी, जो संबंधित स्वाबलम्बी सहकारी समिति के सदस्य हैं। बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा दी गई आपत्ति निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सिरे से खारिज कर दी जायेगी। सादे कागज पर दी गयी आपत्तियाँ स्वीकार्य नहीं होंगी।

11. प्रारूप मतदाता सूची में लिपिकीय अथवा मानवीय भूलवश किसी सदस्य, उसके पिता/पति का नाम एवं पता अथवा किसी समिति के नाम एवं पते में कोई भूल या त्रुटि परिलक्षित होने पर निर्वाचन पदाधिकारी प्रारूप मतदाता सूची में आवश्यक सुधार करने हेतु स्वयं सक्षम होंगे।

12. प्रारूप मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि के संबंध में आवेदन पत्र विहित प्रपत्रों में प्राप्त होने पर निर्वाचन पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी (उप निर्वाचन पदाधिकारी) द्वारा उसकी सरसरी तौर पर पड़ताल कराई जाएगी तथा आवश्यकता महसूस होने पर संक्षिप्त सुनवाई कर आपत्ति की स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में आपत्ति-पत्र पर ही मुखर आदेश पारित किया जाएगा। तदनुसार मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन अनुपूरक मतदाता सूची के माध्यम से कर लिया जाएगा। पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची से यदि किसी मतदाता का नाम समिति ने हटा दिया हो तो समिति को साक्ष्य उपलब्ध कराना होगा कि सहकारिता अधिनियम/नियमावली के किन प्रावधानों के तहत उक्त कार्रवाई की गई है। निर्वाचन पदाधिकारी इस विषय पर सहकारिता पदाधिकारी से तकनीकी परामर्श ले सकते हैं। इसी तरह जिनका नाम पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची में नहीं था, परंतु नाम जोड़ने का दावा कर रहे हों, तो वैसे लोगों को मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने के मामले में आवेदन पत्र के साथ सदस्यता शुल्क प्रमाण-पत्र/शेयर राशि जमा करने का साक्ष्य अथवा शेयर प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि अनिवार्य रूप से संलग्न होनी चाहिए एवं जाँच के समय मूल प्रतियों की मांग आवश्यक रूप से की जायेगी। साथ ही साथ, आवश्यकता महसूस होने पर इन मामलों से संबंधित समिति से भी प्रतिवेदन/अभिलेख की मांग की जा सकती है।

13. प्रारूप मतदाता सूची में जो भी परिवर्तन किए जायेंगे, उन्हें प्रपत्र-एम 5 में दिए गए नमूने के अनुसार एक अनुपूरक सूची के रूप में तैयार किया जाएगा, जिसमें स्पष्ट उल्लेख रहेगा कि प्रारूप मतदाता सूची से कौन सी प्रविष्टि हटायी गयी है, कौन सी प्रविष्टि में आवश्यक संशोधन किया गया है, तथा कौन-सी नई प्रविष्टि जोड़ी गई है। प्रारूप मतदाता सूची एवं अनुपूरक मतदाता सूची के सम्मिलित रूप को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची माना जाएगा। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन का प्रारूप प्रपत्र-एम 6 पर देखा जा सकता है।

14. संबंधित स्वाबलम्बी सहकारी समिति की अंतिम मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में उसे तैयार करने वाले कर्मी तथा निर्वाचन पदाधिकारी/प्राधिकृत उप निर्वाचन पदाधिकारी, दोनों द्वारा अंतिम प्रकाशन के दिन हस्ताक्षर किया जाएगा जो इस बात के प्रमाणस्वरूप होगा कि मतदाता सूची सही है, एवं इसमें कोई छेड़-छाड़ नहीं की गई है। सचेत किया जाता है कि प्रारूप मतदाता सूची अथवा पूरक मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि में ओवरराइटिंग नहीं हो; किसी भी तरह के सुधार को स्पष्ट अक्षरों में उसके बगल में अंकित कर दिया जाय तथा उसके शीर्ष में सुधार करने वाले पदाधिकारी द्वारा अपना आद्याक्षर (initial) अवश्य कर दिया जाय। अगर निर्वाचन संचालन के दौरान प्राधिकार को मतदाता सूची में संबंधित कर्मियों के स्तर पर कोई गड़बड़ी करने की संपुष्ट शिकायत प्राप्त होगी, तो प्राधिकार इसे काफी गंभीरता से लेगा।

15. मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के समय निर्वाचन पदाधिकारी—सह—प्रखंड विकास पदाधिकारी जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-एम 1 में टंकित या कम्प्यूटरिकृत रूप में उपलब्ध कराये गये मतदाता सूची की तीन प्रतियों में से दो का उपयोग करेंगे एवं एक प्रति का उपयोग मूल अभिलेख (कार्यालय प्रति) के रूप में सुरक्षित रखेंगे।

16. मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के समय अंतिम मतदाता सूची की नौ प्रतियाँ तैयार की जायेंगी। इसकी चार प्रतियों का उपयोग निर्वाचन के समय किया जाएगा तथा शेष बची प्रतियों में से एक प्रति प्रखंड मुख्यालय में अंतिम प्रकाशन के लिए; एक प्रति स्वाबलम्बी सहकारी समिति के कार्यालय में अंतिम प्रकाशन के लिए एवं एक प्रति निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखने के लिए तथा दो प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी जाएगी, जो सदस्य मतदाता सूची की फोटो प्रति प्राप्त करना चाहें, उन्हें ₹ 1.50/- प्रति पृष्ठ की लागत दर पर निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा फोटो प्रति उपलब्ध करायी जाएगी।

17. जिला निर्वाचन पदाधिकारी संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी को अपने स्तर से भी प्राधिकार के उपर्युक्त निदेशों से अवगत करा देंगे। निर्वाचन पदाधिकारी अपने स्तर से संबंधित स्वाबलम्बी सहकारी समिति को उपर्युक्त निदेश की जानकारी निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे।

18. निर्वाचन कार्यक्रम को अंतिम रूप देने से पूर्व प्राधिकार के लिए अंतिम रूप से प्रकाशित की जाने वाली मतदाता सूची का संक्षिप्त विवरण जानना आवश्यक है। अतएव संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद पुनः प्राधिकार के वेबसाइट <http://bsea.bihar.gov.in/> पर अपने यूजरनेम के माध्यम से लॉगिन कर मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना दिनांक 18.03.2023 को निम्नरूप से ऑनलाईन प्रविष्टि (केवल हॉ अथवा नहीं में) करेंगे :-

Step -1- मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् संबंधित सूचनाओं को प्रविष्टि करने हेतु निर्देश :-


निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाइट पर लॉगिन करने के उपरांत होमपेज में ऊपर "समितियों के मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यक्रम" पर क्लिक करेंगे। तत्पश्चात् वेबपेज पर इस पत्र के माध्यम से मतदाता सूची के प्रकाशन हेतु निर्गत संख्या के सामने "View" पर क्लिक करें। क्लिक करने के उपरांत समितियों के नाम के सामने उल्लिखित "अंतिम प्रकाशन हुआ अथवा नहीं" में हॉ अथवा नहीं का चयन कर एवं मतदाताओं की संख्या तथा प्रखंड मुख्यालय से समिति कार्यालय की अनुमानित दूरी टाईप कर सबमिट करेंगे।

दिनांक 20.03.2023 के पूर्वाह्न तक निर्वाचन पदाधिकारी अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के संबंध में प्रपत्र-एम 7 पर दिये गये प्रपत्र में एक प्रतिवेदन तैयार करेंगे और इस प्रतिवेदन की एक प्रति प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी या अन्य पर्यवेक्षक के माध्यम से जिला सहकारिता पदाधिकारी को उसी दिन उपलब्ध करा देंगे। जिला सहकारिता पदाधिकारी प्रपत्र-एम 7 में ही सभी निर्वाचन पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदनों को समेकित कर उसी प्रपत्र में फैक्स (0612-2231562) तथा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) या विशेष दूत द्वारा दिनांक 21.03.2023 तक निश्चित रूप से प्राधिकार को उपलब्ध करा देंगे।

19. कोविड-19 का संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी दावा/ आपत्तियों का निष्पादन करते समय कोविड-19 संक्रमण से संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अद्यतन निरोधक उपायों एवं सामान्य मानक प्रक्रिया का ध्यान रखेंगे तथा यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि दावा/ आपत्ति दायर करने तथा सुनवाई के समय भीड़-भाड़ की स्थिति उत्पन्न न हो। इसके लिए यह भी आवश्यक होगा कि दावा/ आपत्तियों के निष्पादन हेतु सुनवाई के लिए निर्धारित अवधि के अन्दर अलग-अलग दावों के लिए अलग-अलग समय का निर्धारण किया जाय। यह व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय कि दावा/ आपत्ति दायर करने तथा उनपर सुनवाई के समय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच सामाजिक दूरी बनी रहे।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक-यथोक्त।

  
(पुरुषोत्तम पासवान)  
सचिव।

ज्ञापांक : 403

/पटना, दिनांक 22/02/2023

प्रतिलिपि: संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. वे कृपया अपने स्तर से भी संबंधित स्वाबलम्बी सहकारी समिति को उपर्युक्त निदेश की जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे तथा निर्वाचन पदाधिकारी को स्वच्छ मतदाता सूची के निर्माण में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। ज्ञातव्य हो कि निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा की गई किसी पृच्छा का सम्यक् एवं त्वरित उत्तर देने हेतु वे कर्तव्यबद्ध (dutybound) हैं।

ज्ञापांक : 403

/पटना, दिनांक 22/02/2023


प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ सचिव ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी -सह- राज्य मिशन निदेशक, जीविका/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सचिव।

ज्ञापांक : 403

/पटना, दिनांक 22/02/2023

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सचिव।

ज्ञापांक : 403

/पटना, दिनांक 22/02/2023

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ सचिव/ परामर्शी/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सचिव।

## निर्वाचन देय स्वावलंबी सहकारी समितियों की सूची :-

| क्र० | जिला का नाम | प्रखंड का नाम | स्वावलंबी समिति का नाम                                    | अभ्युक्ति |
|------|-------------|---------------|---|-----------|
| 1.   | 2.          | 3.            | 4.  | 5.        |
| 1    | बेगूसराय    | बरौनी         | प्रतिज्ञा जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०   |           |
| 2    | बेगूसराय    | खोदावन्दपुर   | नारी शक्ति जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०  |           |
| 3    | बेगूसराय    | बखरी          | क्रांति जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०     |           |
| 4    | बेगूसराय    | बेगूसराय      | विजेता जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०      |           |
| 5    | बेगूसराय    | बलिया         | गंगासागर जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०    |           |
| 6    | बेगूसराय    | वीरपुर        | भारत जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०        |           |
| 7    | बेगूसराय    | मटिहानी       | परिवर्तन जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०    |           |
| 8    | बेगूसराय    | मंसूरचक       | भविष्य जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०      |           |
| 9    | मुजफ्फरपुर  | मुशहरी        | मौसम जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०        |           |
| 10   | मुजफ्फरपुर  | मुशहरी        | उत्तम जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०       |           |
| 11   | मुजफ्फरपुर  | बोचहाँ        | फूलमाला जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०     |           |
| 12   | मुजफ्फरपुर  | सरैया         | क्रांति जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०     |           |
| 13   | मुजफ्फरपुर  | सकरा          | आनन्द जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०       |           |
| 14   | मुजफ्फरपुर  | मुशहरी        | सर्वोत्तम जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०   |           |
| 15   | अररिया      | नरपतगंज       | मिरदौल प्राथमिक कृषक सेवा स्वावलंबी सहकारी समिति लि०      |           |
| 16   | भोजपुर      | तरारी         | सहयोगी नारी शक्ति महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०  |           |
| 17   | समस्तीपुर   | समस्तीपुर     | कोरबद्धा जन कल्याण साख एवं बचत स्वावलंबी सहकारी समिति लि० |           |
| 18   | सारण        | छपरा          | सारण जिला कृषक सेवा स्वावलंबी सहकारी समिति लि०            |           |
| 19   | सारण        | एकमा          | गौसपुर कृषक सेवा स्वावलंबी सहकारी समिति लि०               |           |
| 20   | सुपौल       | मरौना         | शिवगुरू महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०            |           |
| 21   | सुपौल       | निर्मली       | परिवर्तन जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०    |           |
| 22   | सुपौल       | राघोपुर       | नारीचेतना जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०   |           |
| 23   | सुपौल       | सरायढ़-भ०     | आस्था जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०       |           |
| 24   | सुपौल       | किशनपुर       | समर्पण जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०      |           |
| 25   | सुपौल       | पिपरा         | नई दिश जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०      |           |
| 26   | सुपौल       | सुपौल         | क्षितिज जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०     |           |
| 27   | मुजफ्फरपुर  | मुशहरी        | संगम जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०        |           |
| 28   | मुजफ्फरपुर  | मडवन          | जय हिन्द जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०    |           |
| 29   | मुजफ्फरपुर  | मीनापुर       | भारत जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०        |           |
| 30   | भागलपुर     | नाथ नगर       | सिल्क सिटी विभर्स सेल्फ सपोर्टिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी लि०  |           |
| 31   | भागलपुर     | नाथनगर        | मीरा कृषि स्वावलंबी सहकारी समिति लि०                      |           |
| 32   | भागलपुर     | नाथनगर        | माँ दुर्गा कृषक स्वावलंबी सहकारी समिति लि०                |           |
| 33   | भागलपुर     | जगदीशपुर      | कृषि स्वावलंबी सहकारी समिति लि०                           |           |
| 34   | भागलपुर     | जगदीशपुर      | चमेलीचक कृषक सेवा स्वावलंबी सहकारी समिति लि०              |           |
| 35   | भागलपुर     | जगदीशपुर      | कल्याणी महिला स्वावलंबी सहकारी समिति लि०                  |           |
| 36   | भागलपुर     | जगदीशपुर      | बिसहरी महिला स्वावलंबी सहकारी समिति लि०                   |           |

| क्र० | जिला का नाम                 | प्रखंड का नाम | स्वावलंबी समिति का नाम   | अभ्युक्ति |
|------|-----------------------------|---------------|--|-----------|
| 1.   | 2.                          | 3.            | 4.   | 5.        |
| 37   | भागलपुर                     | जगदीशपुर      | श्री ब्रम्हा कृषि स्वावलंबी सहकारी समिति लि०                       |           |
| 38   | वैशाली                      | हाजीपुर       | जीवन दायनी आदर्श महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०            |           |
| 39   | दरभंगा                      | सिंहवारा      | ग्रामीण धन संचय साख स्वावलंबी सहकारी समिति लि०                     |           |
| 40   | औरंगाबाद                    | ओबरा          | संगम स्वयं सिद्ध महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०            |           |
| 41   | औरंगाबाद                    | नवीनगर        | बारा कृषक सेवा स्वावलंबी सहकारी समिति लि०                          |           |
| 42   | सुपौल                       | छातापुर       | गरिमा जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०,<br>घीबहा      |           |
| 43   | सुपौल                       | बसंतपुर       | पंचमुखी जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०,<br>रतनपुर   |           |
| 44   | सुपौल                       | प्रतापगंज     | अन्नपूर्ण जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०<br>सूखानगर |           |
| 45   | औरंगाबाद                    | दाउदनगर       | नारीशक्ति जीविका महिला विकास विकास स्वावलंबी सहकारी समिति<br>लि०   |           |
| 46   | औरंगाबाद                    | देव           | भाष्कर जीविका महिला विकास विकास स्वावलंबी सहकारी समिति<br>लि०      |           |
| 47   | औरंगाबाद                    | हसपुरा        | तिरंगा जीविका महिला विकास विकास स्वावलंबी सहकारी समिति<br>लि०      |           |
| 48   | औरंगाबाद                    | हसपुरा        | भारत जीविका महिला विकास विकास स्वावलंबी सहकारी समिति<br>लि०        |           |
| 49   | औरंगाबाद                    | हसपुरा        | मिलन जीविका महिला विकास विकास स्वावलंबी सहकारी समिति<br>लि०        |           |
| 50   | औरंगाबाद                    | कुटुम्बा      | नारी जीविका महिला विकास विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०           |           |
| 51   | औरंगाबाद                    | कुटुम्बा      | अम्बे जीविका महिला विकास विकास स्वावलंबी सहकारी समिति<br>लि०       |           |
| 52   | औरंगाबाद                    | मदनपुर        | उज्ज्वल जीविका महिला विकास विकास स्वावलंबी सहकारी समिति<br>लि०     |           |
| 53   | औरंगाबाद                    | नवीनगर        | हिमालय जीविका महिला विकास विकास स्वावलंबी सहकारी समिति<br>लि०      |           |
| 54   | औरंगाबाद                    | नवीनगर        | भारत जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०                 |           |
| 55   | औरंगाबाद                    | ओबरा          | तिरंगा जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०               |           |
| 56   | औरंगाबाद                    | रफीगंज        | एकता जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०                 |           |
| 57   | औरंगाबाद                    | बारूण         | जागृति महिला स्वावलंबी सहकारी समिति लि०                            |           |
| 58   | शिवहर                       | पुरनहिया      | रीतू जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०                 |           |
| 59   | पूर्व चम्पारण<br>(मोतिहारी) | कल्याणपुर     | समृद्धि किसान उत्पादक संगठन सहकारी समिति लि०                       |           |
| 60   | नालंदा                      | बिहार<br>शरीफ | शक्ति जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०                |           |